न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 49/2022 बउनवानी प्रेमचन्द बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/98

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.6.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.4..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. राजस्व ग्राम टोटोलाई मे तहसील कार्यालय से जारी रजिस्ट्री दिनांक 3.7.2004 को उक्त रजिस्ट्री मे अंकित आराजी ख0न0 263/15 की नकल नक्शा शीट पटवार लटठा (कपडा लटठा) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने हेतु । 2. राजस्व ग्राम टोटोलाई मे तहसील कार्यालय से जारी रजिस्ट्री दिनांक 12.10.2004 को उक्त रजिस्ट्री में अंकित आराजी ख0न0 222/2,223/2 एवं 223/5 की नकल नक्शा शीट पटवार लटठा की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/75 दिनांक 28.6.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का नायब तहसीलदार तलावडा से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार तलावडा को भिजवाते हुए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर नायब तहसीलदार तलावडा के पत्रांक आरटीआई/22/220 दिनांक 27.6.2022 से अपीलान्ट ग्राम टोटोलाई के ख0न0 263/15, 222/2, 223/2, 223/5 के नक्शा शीट की प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना नायब तहसीलदार तलावडा के पत्रांक आरटीआई/22/220 दिनांक 27.6.2022 से अपीलान्ट को (ग्राम टोटोलाई के ख0न0 263/15, 222/2, 223/2, 223/5 के नक्शा शीट की प्रमाणित प्रति) जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:27:25 IST
Reason: SelfAttested